समाचार वाणी

ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

बिहार मे BPSC ASO भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी, 29 मई से शुरू होंगे आवेदन।

Publisher   Published on 27 May 2025

पटना, 27 मई 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (**BPSC**) ने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (**ASO**) के 41 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी **29 मई 2025** से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि **23 जून 2025** है।

अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर आया है। **बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)** ने **असिस्टेटं सेक्शन ऑफिसर (ASO)** के 41 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 29 मई 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 23 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन ?
इन पदों पर वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास किसी **मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय** से स्नातक (Graduation) की डिग्री हो।

शैक्षणिक योग्यता : उम्मीदवार के पास **मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय** से स्नातक डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा : सामान्य पुरुष उम्मीदवारों के लिए 21 से 37 वर्ष और महिला उम्मीदवारों के लिए 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को आयु में छूट प्राप्त होगी।

आवेदन शुल्क :सामान्य, ओबीसी एवं अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए ₹600
एससी/एसटी/बिहार की महिलाएं एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ₹150
चयन प्रक्रिया : प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा।

आवेदन कैसे करे ?

१. https://bpsconline.bihar.gov.in पर जाएं।
२. “**Apply Online**” लिंक पर क्लिक करें।
३. पहले **रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन करके फॉर्म** भरें।
४. **आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें**।
५. **प्रिंटआउट निकाल लें और सुरक्षित रखें**।

आवेदन प्रक्रिया: अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

---

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.